न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द

(पीठासीन अधिकारी– शक्तिसिंह भाटी, आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 95/2017
दायर दिनांक – 10/11/2017
निर्णय दिनांक – 22/05/2018

अनवान

1. रतनलाल पिता भवरलाल गुर्जर निवासी मेणिया तहसील रेलमगरा
2. मांगीलाल पिता भवरलाल गुर्जर निवासी मेणिया तहसील रेलमगरा
3. लेहरी पत्नि भंवरलाल गुर्जर निवासी मेणिया तहसील रेलमगरा
4. सोधनी पुत्री भवरलाल गुर्जर निवासी मेणिया तहसील रेलमगरा

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रेलमगरा जिला राजसमदं

प्रतिवादी

वाद बाबत् इन्द्राज दुरूस्ती एवं घोषणा हेतू

: : निर्णय : :

वादीगण ने जरिये अधिवक्ता वाद बाबत् इन्द्रात दुरूस्ती एवं घोषणा का प्रस्तुत किया कि राजस्व ग्राम मेणिया की सीमा में वर्तमान खाता सं 142 की आराजी संख्या 636 रकबा 02–09 बीघा , आराजी संख्या 649 रकबा 01–15 बीघा , आराजी संख्या 657 स 02–03 बीघा कुल किता– 03 रकबा 06–07 बीघा पुश्तैनी जमीन मेरे पिता भवंरलाल के नाम पर दर्ज रेकार्ड हो हमारे द्वारा उक्त पर काश्त की जा रही है जिसके प्रमाण मे वर्तमान जमाबंदी साथ प्रस्तुत है। वादपत्र की कलम संख्या 01 मे वर्णित कृषि भूमियां हमारे पूर्वजो की होकर पीढी दर पीढी हमारे नाम पर चली आ रही है । जिस पर आज भी हमारे द्वारा कृषि कार्य किया जा रहा है। जो पिता भंवरलाल जी की मृत्यु हो जाने के बाद से वादीगण के द्वारा उक्त भूमि पर कब्जा करते चले आ रहे है। वादपत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित कृषि भूमियां जो सम्वत् 2053 से 2056 तक भवरलाल पिता तारू के नाम पर दर्ज रेकार्ड होकर सम्वत् 2057–2060 में भवरलाल पिता नारू हो गया। जो रोटेशन दर रोटेशन सम्वत् 2060 से सम्वत् 2072 में भवरलाल पिता नारू दर्ज रिकार्ड है। जबकि सम्वत् 2053 से 2056 में

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

भंवरलाल पिता तारू सही नाम अंकित था जो वर्तमान मे गलत हो जाने से हम वादीगण जो भवरलाल के वारिस है कि नाम पर नामान्तरित नही हो पाया। उक्त जानकारी हमे पटवारी महोदय के पास जाने पर पता चला कि हमारे खाता संख्या 127 मे तो पिता की मृत्यु के पश्चात नामान्तरणकरण फैसल हो गया जबकि खाता संख्या 142 में वादीगण पूर्वज भवरलाल के पिता तारू के स्थान पर नारू दर्ज होने से उक्त नामान्तरणकरण वादीगण के नाम पर दर्ज रेकार्ड नही हो पाया जिससे उक्त आराजीयात मे वादीगण के नामों की घोषणा कराना आवश्यक होने से उक्त घोषणा का वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। वादी ने इस बाबत् प्रतिवादी को नाम सुधारने हेतू कहा व इन्द्राज को दुरूस्त करने व राजस्व अभिलेख में सही अंकन करने बाबत् कहा तो प्रतिवादी ने मना कर दिया व वाद के जरिये ही नाम सुधारने को कहा व अन्तिम बार आज से एक माह पूर्व वादी ने प्रतिवादी को अपना सही नाम अंकन राजस्व अभिलेख में अंकन करने हेतू कहा तो प्रतिवादी ने मना करदिया। तब से अन्तिम बार वादी का वाद हेतू उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। वादी का वाद विरूद्ध राजस्थान राज्य तहसीलदार महोदय के विरूद्ध प्रस्तुत करने से पूर्व धारा 80 सीपीसी का सूचना पत्र देना होता है लेकिन प्रतिवादी ने मौखिक रूप से मना कर दिया व मामला वादी को लोन लेना आवश्यक को होने से आवश्यक प्रकृति का पाया जाने से धारा 80(2) का प्रार्थना पत्र वाद की स्वीकृति बाबत् वाद पत्र के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः प्रार्थना है कि वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादी स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिवादी के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्री पारित फरमाई जावे कि वादपत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित खाता संख्या 142 की आराजी संख्या 636 रकबा 02–09 बीघा , आराजी संख्या 649 रकबा 01–15 बीघा , आराजी संख्या 657 02–03 बीघा कुल किता–03 रकबा 06–07 बीघा मे वादीगण के पिता भवरलाल पिता नारू के स्थान पर भवरलाल पिता तारू इन्द्राज को दुरूस्त करते हुए राजस्व अभिलेखो में अंकन फरमाया जाकर वादीगणों के नामों की घोषणा कराई जावे।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। पत्रावली प्रतिवादी के जवाब में नियत थी कि प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा आयोजित राजस्व लोक अदालत अभियान : न्याय आपके द्वार–2018 के तहत ग्राम

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)

पंचायत सादडी पर रखा गया। दौराने शिविर वादीगण अधिवक्ता एवं प्रतिवादी पेरोकार सरकार उपस्थित। प्रतिवादी पेरोकार सरकार ने प्रकरण में जाहिर किया कि प्रकरण में वादी के पिता का नाम में संशोधन होकर राज्य सरकार पर कोई विपरित प्रभाव नही पडने से कोई आपत्ति नही होना जाहिर किया इस बाबत् प्रतिवादी ने फर्द अहकाम पर अपने हस्ताक्षर अंकित किये गये।

पक्षकारान को सुना गया। पत्रावली एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर जाहिर आया कि वादग्रस्त भूमि में जमाबन्दी संवत् 2053–56 तक भंवरलाल पिता तारू का नाम दर्ज रेकार्ड था किन्तु रोटेशन की जमाबन्दी संवत् 2057–60 में भंवरलाल पिता नारू का नाम दर्ज कर दिया गया तथा भंवरलाल के मृत्यु प्रमाण पत्र में भी उसके पिता का नाम तारू अंकित है। ऐसी स्थिति में वादी अपने वाद पत्र को दस्तावेजी साक्ष्य से सिद्व करने में सफल रहे है।

अतः वादीगण का वाद बाबत् इन्द्राज दुरूस्ती एवं घोषणा का स्वीकार किया जाकर ग्राम मेणिया की सीमा में वर्तमान खाता सं 142 की आराजी संख्या 636 रकबा 02–09 बीघा , आराजी संख्या 649 रकबा 01–15 बीघा , आराजी संख्या 657 स 02–03 बीघा कुल किता– 03 रकबा 06–07 बीघा में खातेदार भंवरलाल पिता नारू गुर्जर के नाम बजाय भंवरलाल पिता तारू गुर्जर के नाम से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार रेलमगरा इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में सही अंकन करावें। पालनार्थ तहसीलदार रेलमगरा को पालनार्थ लिखा जावें। इसी अनुरूप डिक्री पर्चा कायम हो। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 22/05/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर कैम्प सादडी पर सुनाया गया।

(शक्तिसिंह भाटी)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा